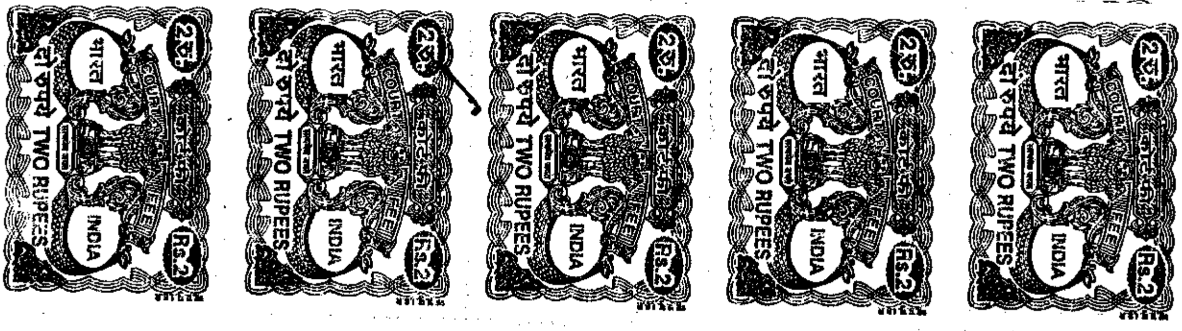

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के न्यायालय मे

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा/2017/2913

1. फेकन पिता रजु बारेला निवासी दानोद
तहसील राजपुर जिला बड़वानी म.प्र. ।

................प्रार्थी

// विरूद्ध //

1 नानीबाई बेवा गुंजी निवासी दानोद
तहसील राजपुर जिला बड़वानी म.प्र ।

......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंर्तगत धारा 50 म प्र भु रा संहिता 1959 :–

श्रीमान अपरआयुक्त संभाग इंदोर के द्वारा प्र क. 391/16–17 आदेश दिनांक 10/6/17 से असंतुष्ठ होकर प्रार्थी ने यह निगरानी निम्नलिखित कारणो से प्रस्तुत की हे।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / बड़वानी / भू.रा. / 2017 / 2913

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–9–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अग्राह्य की गई है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण होकर संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित हुई है, जिसमें आवेदक का अतिक्रमण सिद्ध पाते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । अब आवेदक प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक का कब्जा हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करना चाहता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से उभय पक्ष का कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को रिक्त कराने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष उचित हैं, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	